कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/18873/ बजट प्रावधान **/2023–24** **दिनांक**

जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा (मुख्यालय), **(ई–मेल)**
समस्त जिले।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2022–23 व 2023–24 में कोषालय द्वारा पारित किन्तु भुगतान से वंचित (ECS नहीं होने के कारण) बिलों के वित्तीय वर्ष 2024–25 में पुनर्भरण किये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 व 2023–24 में कोषालय द्वारा पारित किन्तु भुगतान से वंचित (ECS नहीं होने के कारण) बिलों का वित्तीय वर्ष 2024–25 में पुनर्भरण किया जाना है इस हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में बजट आंवटित कर निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार भुगतान किया जाना सुनिश्चित करे तथा निम्नाकिंत बिन्दुओं की पालना करें:–

1. वित्तीय सत्र 2022–23 में कोषालय द्वारा पारित किन्तु भुगतान से वंचित (ECS नहीं होने के कारण) बिलों का पुनर्भरण प्राथमिकता से किया जाये। ताकि वित्तीय सत्र 2022–23 में जिन शैक्षिक सत्रों का भुगतान अनुमत था उन सत्रों का भुगतान बकाया नहीं रहे।
2. वित्तीय सत्र 2023–24 में कोषालय द्वारा पारित किन्तु भुगतान से वंचित (ECS नहीं होने के कारण) बिलों का वित्तीय वर्ष 2024–25 में पुनर्भरण किया जाये।
3. वर्तमान में वित्तीय सत्र 2022–23 व 2023–24 के उन्ही बिलों का भुगतान किया जाना है जो पूर्व में कोषालय द्वारा पारित किये जा चुके है। पीएसपी पोर्टल पर नये बिल नहीं बनाये जा सकेगें।
4. बजट हेड 2202–01–800–14–00–57 C–V के स्थान पर 2202–01–102–09–01–57 C–V तथा 2202–01–800–14–00–57 P–V के स्थान 2202–01–102–09–01–57 P–V का प्रयोग किया जाये मांग संख्या 24 के स्थान पर 20 का प्रयोग किया जाये। इस हेतु उक्त बजट मद में पूर्व में जारी भुगतान स्वीकृती आदेशों के मद परिवर्तन करने हेतु सुविधा पीएसपी पोर्टल पर उपलब्ध करवा दी गई है।

बिन्दु संख्या 1 से 4 में किसी भी प्रकार की अनियमितता/राजकोष में हानि पहुचायी गई तो कार्यालय के आरटीई प्रभारी कार्मिक व अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
संलग्नः– बजट आवंटन आदेश।

(आशीष मोदी)
IAS
निदेशक
प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल, जयपुर।
2. श्री विनोद जैन, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, शिक्षा संकुल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि पोर्टल पर उक्तानुसार व्यवस्था करावें।

RajKaj Ref
6763182

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ashish Modi
Designation : Director
Date :25-04-2024 02:25:06